पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–8] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 दिसम्बर, 2007 ई0 (पौष 08, 1929 शक सम्वत्) [संख्या–52

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	315–321	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	349–354	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग

अधिसूचना

04 दिसम्बर, 2007 ई०

संख्या 1511/XVIII(2)/07–3(6)/2007–आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, वर्ष 2005) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये विभिन्न कार्यों तथा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन के लिए एक जिला स्तरीय, अर्थात् अल्मोड़ा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नवत् रूप में संरचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :–

(1) जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा	–	अध्यक्ष
(2) जिला पंचायत अध्यक्ष, अल्मोड़ा	–	सहअध्यक्ष
(3) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा	–	सदस्य
(4) मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा	–	सदस्य
(5) प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/अपर जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा	–	सदस्य एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी
(6) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा	–	सदस्य
(7) अधिशासी अभियन्ता (लो0नि0वि0), अल्मोड़ा, जिसे जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाय	–	सदस्य

जनपद के समस्त विधायकगण, प्राधिकरण की बैठकों में विशिष्ट आमंत्री होंगे और यथा आवश्यकता, प्राधिकरण की बैठकों में निम्नांकित को भी आमंत्रित किया जा सकेगा :–

(1) जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा।

(2) परिवहन विभाग के जनपद अल्मोड़ा हेतु नियत प्रभारी अधिकारी।

(3) अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई विभाग), अल्मोड़ा।

(4) अन्य अधिकारी, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष उचित समझें।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1511/XVIII(2)/07-3(6)/2007**, dated 04 December, 2007 for general information :

NOTIFICATION

December 04, 2007

No. 1511/XVIII(2)/07-3(6)/2007--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Disaster Management Act, 2005 (Central Act No. 53 of 2005), the Governor is pleased to accord sanction to constitute a District level Authority, namely, Almora Disaster Management Authority, to carry out the various functions and discharge of powers, assigned to it under this Act, consisting the following, Namely :--

(1) District Magistrate, Almora	–	Chairperson
(2) Chairperson of the Zila Panchayat, Almora	–	Co-chairperson
(3) Sr. Police Superintendent/Police Superintendent, Almora	–	Member
(4) Chief Development Officer, Almora	–	Member
(5) Officer-in-Charge, Disaster Management/Additional District Magistrate, Almora	–	Member and Chief Executive Officer

(6) Chief Medical Officer, Almora – Member

(7) Executive Engineer (PWD), Almora to be nominated by the District Magistrate/Chairperson – Member

All the Members of Legislative Assembly (MLAs) of the district shall be special invitees for the meetings of the Authority and, the Authority may also invite the following to its meetings :--

(1) District Supply Officer, Almora.

(2) Officer of Transport Department, incharge for the District, Almora.

(3) Executive Engineer (Irrigation), Almora.

(4) Other officers, whom the District Magistrate/Chairperson deem appropriate.

04 दिसम्बर, 2007 ई०

संख्या 1512/XVIII(2)/07–3(6)/2007–आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, वर्ष 2005) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये विभिन्न कार्यों तथा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन के लिए एक जिला स्तरीय, अर्थात् पिथौरागढ़ आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नवत् रूप में संरचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :–

(1) जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ – अध्यक्ष

(2) जिला पंचायत अध्यक्ष, पिथौरागढ़ – सहअध्यक्ष

(3) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ – सदस्य

(4) मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ – सदस्य

(5) प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/अपर जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ – सदस्य एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी

(6) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ – सदस्य

(7) अधिशासी अभियन्ता (लो०नि०वि०), पिथौरागढ़ जिसे जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाय – सदस्य

जनपद के समस्त विधायकगण, प्राधिकरण की बैठकों में विशिष्ट आमंत्री होंगे और यथा आवश्यकता, प्राधिकरण की बैठकों में निम्नांकित को भी आमंत्रित किया जा सकेगा :–

(1) जिला पूर्ति अधिकारी, पिथौरागढ़।

(2) परिवहन विभाग के जनपद पिथौरागढ़ हेतु नियत प्रभारी अधिकारी।

(3) अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई विभाग), पिथौरागढ़।

(4) अन्य अधिकारी, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष उचित समझें।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1512/XVIII(2)/07-3(6)/2007,** dated 04 December, 2007 for general information :

December 04, 2007

No. 1512/XVIII(2)/07-3(6)/2007--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Disaster Management Act, 2005 (Central Act No. 53 of 2005), the Governor is pleased to accord sanction to constitute a District level Authority, namely, Pithoragarh Disaster Management Authority, to carry out the various functions and discharge of powers, assigned to it under this Act, consisting the following, Namely :--

(1) District Magistrate, Pithoragarh – Chairperson

(2) Chairperson of the Zila Panchayat, Pithoragarh – Co-chairperson

(3) Sr. Police Superintendent/Police Superintendent, Pithoragarh – Member

(4) Chief Development Officer, Pithoragarh	–	Member
(5) Officer-in-Charge, Disaster Management/Additional District Magistrate, Pithoragarh	–	Member and Chief Executive Officer
(6) Chief Medical Officer, Pithoragarh	–	Member
(7) Executive Engineer (PWD), Pithoragarh to be nominated by the District Magistrate/Chairperson	–	Member

All the Members of Legislative Assembly (MLAs) of the district shall be special invitees for the meetings of the Authority and, the Authority may also invite the following to its meetings :--

(1) District Supply Officer, Pithoragarh.

(2) Officer of Transport Department, incharge for the District, Pithoragarh.

(3) Executive Engineer (Irrigation), Pithoragarh.

(4) Other officers, whom the District Magistrate/Chairperson deem appropriate.

04 दिसम्बर, 2007 ई०

संख्या 1513/XVIII(2)/07–3(6)/2007–आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, वर्ष 2005) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये विभिन्न कार्यों तथा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन के लिए एक जिला स्तरीय, अर्थात् ऊधमसिंह नगर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नवत् रूप में संरचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :–

(1) जिला मजिस्ट्रेट, ऊधमसिंह नगर	–	अध्यक्ष
(2) जिला पंचायत अध्यक्ष, ऊधमसिंह नगर	–	सहअध्यक्ष
(3) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर	–	सदस्य
(4) मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	–	सदस्य
(5) प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/अपर जिला मजिस्ट्रेट, ऊधमसिंह नगर	–	सदस्य एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी
(6) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	–	सदस्य
(7) अधिशासी अभियन्ता (लो०नि०वि०), ऊधमसिंह नगर जिसे जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाय	–	सदस्य

जनपद के समस्त विधायकगण, प्राधिकरण की बैठकों में विशिष्ट आमंत्री होंगे और यथा आवश्यकता, प्राधिकरण की बैठकों में निम्नांकित को भी आमंत्रित किया जा सकेगा :–

(1) जिला पूर्ति अधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।

(2) परिवहन विभाग के जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु नियत प्रभारी अधिकारी।

(3) अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई विभाग), ऊधमसिंह नगर।

(4) अन्य अधिकारी, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष उचित समझें।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1513/XVIII(2)/07-3(6)/2007**, dated 04 December, 2007 for general information :

December 04, 2007

No. 1513/XVIII(2)/07-3(6)/2007--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Disaster Management Act, 2005 (Central Act No. 53 of 2005), the Governor is pleased to accord sanction to constitute a District level Authority, namely, Udhamsingh Nagar Disaster Management Authority, to carry out the various functions and discharge of powers, assigned to it under this Act, consisting the following, Namely :--

(1)	District Magistrate, Udhamsingh Nagar	–	Chairperson
(2)	Chairperson of the Zila Panchayat, Udhamsingh Nagar	–	Co-chairperson
(3)	Sr. Police Superintendent/Police Superintendent, Udhamsingh Nagar	–	Member
(4)	Chief Development Officer, Udhamsingh Nagar	–	Member
(5)	Officer-in-Charge, Disaster Management/Additional District Magistrate, Udhamsingh Nagar	–	Member and Chief Executive Officer
(6)	Chief Medical Officer, Udhamsingh Nagar	–	Member
(7)	Executive Engineer (PWD), Udhamsingh Nagar to be nominated by the District Magistrate/Chairperson	–	Member

All the Members of Legislative Assembly (MLAs) of the district shall be special invitees for the meetings of the Authority and, the Authority may also invite the following to its meetings :--

(1) District Supply Officer, Udhamsingh Nagar.

(2) Officer of Transport Department, incharge for the District, Udhamsingh Nagar.

(3) Executive Engineer (Irrigation), Udhamsingh Nagar.

(4) Other officers, whom the District Magistrate/Chairperson deem appropriate.

By Order,

NRIP SINGH NAPALCHAYAL,
Principal Secretary.

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2

अधिसूचना / प्रकीर्ण

28 नवम्बर, 2007 ई0

संख्या 1170 / xxxii / 2007–शासन की अधिसूचना संख्या 1141 / एक–6 / 2004, दिनांक 30 जुलाई, 2004 एवं संख्या 1149 / xxxii / 2006, दिनांक 02 अगस्त, 2006 द्वारा ट्रांजिट हॉस्टल (अस्थाई विधायक निवास), जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आता है, में मा0 विधान सभा सदस्यों के कक्षों में अनुमन्य करायी गयी साज–सज्जा के अतिरिक्त निम्नलिखित साज–सज्जा / उपकरण अनुमन्य कराये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	नाम वस्तु	संख्या
01	स्टील बुक सैल्फ	01
02	आफिस चेयर (मूविंग)	01
03	आगन्तुक कुर्सी	04
04	एक्वागार्ड	01
05	गीजर	01
06	दीवान (बॉक्स वाला)	01

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

05 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 6595/तीस–1–2007–15(12)/2005–श्री चेतन सिंह राठौर, पी0सी0एस0, डिप्टी कलेक्टर, पौड़ी के पत्र दिनांक 21–11–2007 में उनके द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में श्री राठौर का चयन भारतीय पुलिस सेवा में होने के फलस्वरूप उन्हें उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के पद से दिनांक 09–12–2007 के अपरान्ह से कार्यमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

डी0 के0 कोटिया,
सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

12 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 1578/VIII/52–प्रशि0/2007–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार द्वारा प्रशिक्षण सेवा श्रेणी–2 के पद के लिए श्री उदय राज सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, मकान नम्बर–38/2, आई0आर0आई0 कॉलोनी, रुड़की कोतवाली गंगनहर, जिला हरिद्वार को चयनित करते हुए नियुक्ति हेतु संस्तुत किया गया है। अतः श्री उदय राज सिंह को योगदान प्रस्तुत करने की तिथि से प्रधानाचार्य श्रेणी–2, वेतनमान रुपये 8000–275–13500 के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1–उक्त नियुक्ति आदेश आपके स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट उपयुक्त पाये जाने पर ही मान्य होगी, यदि आपको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में अनुपयुक्त पाया जाता है तो आपकी यह नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी सेवा समाप्त नियमावली, 1975 के प्राविधानों के अनुसार स्वतः निरस्त होगी।

2–श्री सिंह को प्रधानाचार्य श्रेणी–2, वेतनमान रुपये 8000–275–13500 में वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–आपको दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

4–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5–अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे :–

(I) पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी भी न्यायालय में अभियोजन कार्यवाही प्रचलित न होने का घोषणा–पत्र।

(II) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थायी निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(III) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(IV) चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा–पत्र।

(V) वैवाहिक स्थिति, यदि विवाहित हैं, तो एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VI) स्वास्थ्य परीक्षण निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा कराया जायेगा।

(VII) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो सक्रिय सेवा में हों, और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों, संलग्न करना होगा।

(VIII) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

6–सेवा में आने से पूर्व दिनांक 20–12–2007 से 02 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी में प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अतः आप अपेक्षित औपचारिकतायें / प्रमाण–पत्रों के साथ दिनांक 20–12–2007 को प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी आई0टी0आई0 परिसर, रामपुर रोड, हल्द्वानी में अपना योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7–प्रशिक्षण के उपरान्त आपकी तैनाती प्रधानाचार्य श्रेणी–2 के पद पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दुगड्डा, जनपद पौड़ी गढ़वाल में की जाती है।

आज्ञा से,

सुब्रत विश्वास,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट / 622–भाग 1–2007 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ए0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 दिसम्बर, 2007 ई0 (पौष 08, 1929 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 17, 2007

No. 151/XIV/20/Admin.A/2007--Sri Virendra Kumar Maheshwari, Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 04 days *w.e.f.* 12/12/2007 to 15/12/2007, with permission to suffix 16/12/2007 as Sunday, for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd./-
RAVINDRA MAITHANI,
Additional Registrar.

December 17, 2007

No. 152/UHC/Stationery/2007--Holiday of Idu'l Juha shall be observed in the Court on Friday, December 21, 2007 instead of Saturday, December 22, 2007. The Registry shall remain open half day on Saturday, December 22, 2007.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd./-
V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

December 19, 2007

No. 153/XIV-7/Admin.A/2007--Sri Gajanand Nautiyal, Special Judicial Magistrate, Rishikesh, Distt. Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 26 days *w.e.f.* 15/11/2007 to 10/12/2007.

By Order of the Court,

Sd./-
RAVINDRA MAITHANI,
Additional Registrar.

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 172/कर पंजीयन/एनएल0 2ए–9696/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री शिव सिंह निवासी आदर्श। कॉलोनी वार्ड नम्बर 5, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या एनएल02ए–9696 के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 360324 जेटीक्यू0 12652 तथा इंजन नम्बर 697 डी 23 जेटीक्यू 142898 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जाँच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री शिव सिंह निवासी आदर्श कॉलोनी वार्ड नम्बर 5, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को दिनांक 30–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि "अधूरा पता पूर्ण पते के लिए प्रेषक को वापस"। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्–द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या एनएल02ए–9696 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 173/कर पंजीयन/एनएल0 5 ए–8903/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री बलकार सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह निवासी आदर्श कॉलोनी, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या एनएल05ए–8903 के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 364052508735 तथा इंजन नम्बर 697 डी0 2996514 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री बलकार सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह निवासी आदर्श कॉलोनी, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को दिनांक 30–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि "अधूरा पता पूर्ण पते के लिए प्रेषक को वापस"। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्–द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या एनएल05ए–8903 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 174/कर पंजीयन/यूए06बी–2587/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री अच्छर सिंह निवासी वंडिया, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या यूए06बी–2587 (पुराना नम्बर एनएल02ए–7979) के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 380010 बीटीक्यू201113 तथा इंजन नम्बर 697डी22बीटीक्यू 107511 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री बदलेव सिंह पुत्र श्री अच्छर सिंह निवासी वंडिया, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर को दिनांक 27–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो वापस आ गया। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्–द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06बी–2587 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 175/कर पंजीयन/यू0ए06–8807/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री रेहान पुत्र श्री सफीक अहमद निवासी आदर्श कॉलोनी, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या यू0ए06–8807 (पुराना नम्बर एनएल05ए–6162) के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 344073097037 तथा इंजन नम्बर 692 डी02312042 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री रेहान पुत्र श्री सफीक अहमद निवासी आदर्श कॉलोनी, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को दिनांक 27–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि "अधूरा पता पूर्ण पते के लिए प्रेषक को वापस"। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्–द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06बी–8807 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 176/कर पंजीयन/यू0ए 06A–3019/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री पूरन प्रकाश जोशी पुत्र श्री देवी दत्त जोशी निवासी तिवारी नगर, बिन्दुखत्ता लालकुआं, जिला नैनीताल जो कि वाहन संख्या यू0ए06ए–3019 (पुराना नम्बर एनएल05ए–9901) के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 373043एमएसक्यू0 10972 तथा इंजन नम्बर 697 डी01 एलएसक्यू 143850 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांच–कर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री पूरन प्रकाश जोशी पुत्र श्री देवी दत्त जोशी निवासी तिवारी नगर, बिन्दुखत्ता लालकुआं, जिला नैनीताल को नोटिस जारी किया गया जो कि वापस आ गया। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन मे एतद्–द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06ए–3019 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 177/कर पंजीयन/यू0ए06सी–3153/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री अबराज सिंह पुत्र श्री सन्त सिंह निवासी ए/114, आवास विकास, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या यू0ए06सी–3153 (पुराना नम्बर एनएल02ए–9676) के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 360324जेवीक्यू 124315 तथा इंजन नम्बर 697 डी23जेवीक्यू 712801 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी अबराज सिंह पुत्र श्री सन्त सिंह निवासी ए/114, आवास विकास, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर को दिनांक 27–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि "इस नम्बर का कोई मकान नहीं है अतः वापस"। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्–द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06सी–3153 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 178/कर पंजीयन/यू0ए06–8670/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह निवासी ए/147, आवास विकास, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या यू0ए06–6870 (पुराना नम्बर एनएल05ए–9585) के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 380010 डीयूक्यू 712311 तथा इंजन नम्बर 697डी22डीयूक्यू322882 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह निवासी ए/147, आवास विकास, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को दिनांक 25–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि यहां पर इस नाम का कोई नहीं बताया अतः वापस। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं है।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्–द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06–8670 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 179/कर पंजीयन/यू0ए06ए–2850/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री नत्थूलाल निवासी द्वारा वंसल सर्विस सेन्टर, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या यू0ए06ए–2850 (पुराना नम्बर एनएल02ए–5931) के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 365052540667 तथा इंजन नम्बर 692डी2557086 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री नत्थूलाल निवासी द्वारा वंसल सर्विस सैन्टर, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को दिनांक 27–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो कि इस टिप्पसी के साथ वापस आ गया कि "इस पते पर इस नाम का कोई नहीं है वापस"। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद् द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06ए–2850 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 180/कर पंजीयन/यू0ए06–6776/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट, लाल पुर, तहसील, किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या यू0ए06–6776 (पुराना नम्बर एनएल05ए–6336) के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 364050297775 तथा इंजन नम्बर 692डी23306465 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट, लाल पुर, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर को दिनांक 27–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि "ठीक–ठीक पता नहीं चलता वापस"। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06–6776 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 181/कर पंजीयन/यू0ए06ए–3676/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्रीमती दर्शन कौर पत्नी श्री अवतार सिंह निवासी जो वडिया, किच्छा, ऊधमसिंह नगर, कि वाहन संख्या यू0ए06ए–3676 (पुराना नम्बर एनएल05ए–9994) की पंजीकृत स्वामी है जिसका चेसिस नम्बर 364052551496 तथा इंजन नम्बर 692डी02530931 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्रीमती दर्शन कौर पत्नी श्री अवतार सिंह निवासी, वडिया, किच्छा, ऊधमसिंह नगर को दिनांक 27–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो कि इस टिप्पसी के साथ वापस आ गया कि "इनकारी वापस"। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06ए–3676 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 182/कर पंजीयन/यू0ए06ए–4955/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री बलविन्दर सिंह पुत्र श्री पाल सिंह, वार्ड नम्बर 5, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या यू0ए06ए–4955 (पुराना नम्बर एनएल05ए–9552) के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 360324ईवीक्यू 712548 तथा इंजन नम्बर 697डी23ईवीक्यू 733775 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांच–कर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री बलविन्दर सिंह पुत्र श्री पाल सिंह, वार्ड नम्बर 5, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर को दिनांक 25–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि "ढूंढने पूछताछ करने पर प्राप्तकर्ता नहीं मिला लिहाजा प्रेषक को वापस"। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06ए–4955 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 183/कर पंजीयन/यू0ए06ए–6331/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री दीपक राणा पुत्र श्री दलवीर सिंह एवं रोहित ठाकुर पुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी मान पुर पश्चिमह, हल्द्वानी, हाल पता आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या यू0ए06ए–6331 (पुराना नम्बर एनल05ए–7191) के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 344073875903 तथा इंजन नम्बर 692डी01903900 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है।

उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री दीपक राणा पुत्र श्री दलवीर सिंह एवं रोहित ठाकुर पुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी मान पुर पश्चिमह हल्द्वानी, हाल पता आदर्श कॉलोनी, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को दिनांक 27–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि ''बार बार जाने पर पाने वाले घर में नहीं मिलते अन्य लोग लेने से आनाकानी करते हैं''। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06ए–6331 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

11 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 184/कर पंजीयन/यू0ए06बी–4764/2007–कार्यालय अभिलेखानुसार श्री मौ0 हासिम पुत्र श्री मौ0 उमर निवासी ग्राम सिरौली कला, किच्छा, ऊधमसिंह नगर जो कि वाहन संख्या यू0ए06बी–4764 (पुराना नम्बर एनएल02ए–9708) के पंजीकृत स्वामी हैं जिसका चेसिस नम्बर 373011 जीटीक्यू 114200 तथा इंजन नम्बर 697डी22जीटीक्यू205142 है, की जांच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार इस विभाग के जांचकर्ता श्री ए0के0 सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून एवं श्री सुधांशु गर्ग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उपरोक्त वाहन की पत्रावली की जांच एवं नागालैण्ड राज्य से प्राप्त सत्यापन आख्या का मिलान करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मूल रूप से नागालैण्ड राज्य में पंजीकृत वाहन एवं इस कार्यालय में पंजीकृत वाहन के विवरण भिन्न हैं एवं वाहन का पंजीयन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी श्री मौ0 हासिम पुत्र श्री मौ0 उमर निवासी ग्राम सिरौली कला, किच्छा, ऊधम सिंह नगर को दिनांक 27–10–2007 को नोटिस जारी किया गया जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि ''ढूंढने पूछताछ करने पर प्राप्तकर्ता नहीं मिला लिहाजा प्रेषक को वापस''। उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन के प्रपत्र नियमानुसार नहीं हैं।

अतः श्री एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में एतद्द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू0ए06बी–4764 का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जाता है।

पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/622–भाग 1–क–2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।